श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थनिक क्षेत्र
नई दिल्ली-110016

क्रमांक. एफ 21(01) / ला.ब.शा.रा.सं.वि. / हि.रा.भा. / 2021–22 / ४४१ दिनांक 08.09.2025

कार्यालय आदेश

सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के सभी विभागों/अनुभागों को यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित सभी 17 दस्तावेज़ जैसे:- दिन-प्रति-दिन के सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएँ, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, एम.ओ.ए., भर्ती नियम (आर.आर.), संसदीय प्रश्न, प्रशासनिक प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञापन, लाइसेंस(अनुज्ञप्ति), परमिट (अनुज्ञा पत्र), नियुक्ति पत्र एवं कार्यवृत आदि सभी द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेज़ी) में जारी करने पर जोर दिया जाएं। अपने विभाग/अनुभाग में उपयोग होने वाली फ़ाइल कवर में नियमित उपयोग की जाने वाली हिंदी-अंग्रेज़ी एवं अंग्रेज़ी- हिंदी शब्दावली की सूची भी प्रदर्शित की जाए।

यह कार्यालय आदेश सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति उपरांत निर्गत किया जा रहा है।

सहायक कुलसचिव (हिंदी प्रकोष्ठ)

प्रतिलिपि :-

1. समस्त पीठाध्यक्ष
2. विश्वविद्यालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग
3. कुलपति / कुलसचिव जी के निजी सचिव
4. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित है कि इस कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें तथा समस्त विभागों एवं अनुभागों को व्हाट्सएप्प.के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें।
5. जनसम्पर्क अधिकारी
6. सम्बंधित पत्रावली

शास्त्री त्रिपाठी

सहायक कुलसचिव (हिंदी प्रकोष्ठ)

9/9/25

09/09/25